गोरादेवी बनाम ई॰ परसिंह

किस्म मुकदमा 225 मु. नं0 70 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
25-6-2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अदालत मातहत ने एकपक्षीय आदेश जारी कर एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के लिये पाबन्द करने में कानूनी भूल की है । यदि अदालत मातहत ने एकपक्षीय आदेश पारित भी कर दिया तो एकपक्षीय आदेश को 30 दिन की अवधि मे अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना चाहिये था, किन्तु अदालत मातहत ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 19-7-2017 को पारित किया जो आज दिनांक तक यथावत है । अदालत मातहत मे प्रार्थना पत्र धारा-251(ए) के तहत पेश किया गया जिसका निस्तारण भी 90 दिन मे कर दिया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण न कर अपीलान्ट को बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द कर कानूनी भूल कर रखी है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने प्रार्थना पत्र धारा-251(ए) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें अदालत मातहत ने दिनांक 19-7-17 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया कि वे विवादित आराजी ख0नं0 533/208 रकबा 0-20 हैक्टर ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	

झाझीत के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये0 पाबन्द किया तथा आदेशT-39 नियम-3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित किये जाने के आदेशT दिये है किन्तु अदालत मातहत ने आदेशT-39 ैनियम-3 सीपीसी की पालना की अथवा नहीं इस बाबत स्वयं ने ही कोई ध्यान नहीं दिया और इस आदेशT के नियम-3॰क॰ के अनुसार अन्तरिम आदेशT का निर्णय अन्तिम रूप से 30 दिन में किया जाना चाहिये किन्तु योग्य अदालत मातहत ने इस ओर कोई गौर न कर अपना एकपक्षीय आदेशT दिनांक तक यथावत रखा है ।हम प्रकरण को इसी स्तर पर इस निर्देशT के साथ अदालत ~~मातहत को~~ मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह आदेशT दिनांक 19-7-17 का अन्तिम रूप से निस्तारण 30 दिन में करें अन्यथा अदालत मातहत का आदेशT 30 दिन बाद स्वत ही निरस्त माना जावेगा ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर स्वीकार कर प्रकरण योग्य अदालत मातहत को उक्तानुसार रिमाण्ड की जाती है पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 4-7-2018 को उक्त निर्णय की प्रति सहित अपनी उपस्थिति देंगे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

25/6/18

॰[illegible]॰
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर